देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

–ःप्रारंभिक अधिसूचनाः–

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 1224 /भू अ० **दिनांक :** 31/7/2024

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **मौजा–राउतडीह, थाना–देवीपुर, थाना सं०–101, अंचलः–देवीपुर, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **चांदडीह–तिलौना पथ (भाया सिमरा, खसपेका, पिछड़ीबाद, मथुरापुर, हुसैनाबाद,) पथ परियोजना निर्माण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **मौजा–राउतडीह, थाना–देवीपुर, थाना सं०–101, अंचलः–देवीपुर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.59 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	9	रैयती	बाड़ी–2	0.03	गुरूदयाल मंडल वो शेटु मंडल पे० स्व० मुरल मंडल वो भुखली देवी पे० स्व० बुधन मंडल वो विजन मंडल वो नुनमंनी मंडल पे० स्व० जीतन मंडल वो कैली देवी पे० स्व० मानीक मंडल सा०देह।	मौजा मंझी लाडीह थाना संख्या–93	खेसरा का शेष अंश	कटहारी नं० 102	हुसैनाबाद नं० 100
2	2	20	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव।				
3	2	8	रैयती	बाड़ी–2	0.02	युगल मंडल पे० स्व० रामेश्वर मंडल वो मेघु मंडल वो येदु मंडल वो डोमर मंडल पे० स्व० तीलो मंडल सा०देह।				
4	3	8	रैयती	बाड़ी–2	0.03	टुपलाल मंडल वो गुजार मंडल पे० स्व० ऐमु मंडल सा० देह।				
5	3	19	रैयती	बाड़ी–2	0.01	तथैव।				
6	7	7	रैयती	बाड़ी–2	0.03	दुखन मंडल पे० स्व० टेटु मंडल वो प्रमीला देवी पति स्व० भूखन मंडल वो अर्जुन मंडल वो सहदेव मंडल पे० स्व० कंटी मंडल सा०देह।				
7	7	18	रैयती	बाड़ी–2	0.01	तथैव।				
8	8	1	रैयती	बाड़ी–2	0.04	राहुल कुमार वो छोटु कुमार पे०स्व० महेन्द्र प्रसाद राय वो जितेन्द्र राय पे०स्व० गोबिन्द राय वो त्रिपुरारी प्रसाद राय पे०स्व० बलभद्र राय वो त्रिवेनी प्रसाद राय पे०स्व० बद्री नारायण राय वो मापी प्रसाद राय वो अनील प्रसाद राय पे०स्व० जयदेव प्रसाद राय वो अशोक प्रसाद राय पे०स्व० भूदेव प्रसाद राय वो सुमन प्रसाद राय पे०स्व० रामदेव प्रसाद राय वो नीरज प्रसाद राय पे०स्व० सुनील राय वो रविशंकर राय वो सुवल राय पे०स्व० नवीन राय वो दिलीप प्रसाद राय वो शिवशंकर प्रसाद राय वो राजेश प्रसाद राय पे०स्व० प्रवीण राय				

						वो दशरथ प्रसाद राय वो कार्तिक प्रसाद राय पे०स्व० सत्यनारायण प्रसाद राय वो दीपक प्रसाद राय वो उज्जवल प्रसाद राय पे०स्व० भूषण प्रसाद राय वो निरज राय पे०स्व० मकुन्द प्रसाद राय वो श्यामसुन्द्रर प्रसाद राय वो मुरारी प्रसाद राय पे०स्व० जर्नादन प्रसाद राय वो कमलेश राय वो विकाश राय पे०स्व० धंनजय प्रसाद राय वो पप्पु प्रसाद राय वो वंटी प्रसाद राय पे०स्व० कृष्णा प्रसाद राय सा०देह।			
9	8	3	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।			
10	8	5	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव।			
11	8	6	रैयती	बाड़ी–2	0.06	तथैव।			
12	8	11	रैयती	बाड़ी–2	0.05	तथैव।			
13	8	12	रैयती	बाड़ी–2	0.05	तथैव।			
14	8	13	रैयती	बाड़ी–2	0.10	तथैव।			
15	8	15	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव।			
16	8	17	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव।			
				कुल रकवा–	**0.59**				

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
15.7.21

28.07.21
अपर समाहर्त्ता
देवघर

30/07/2021
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1221 / भू अ०, देवघर, दिनांक 31/7/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवीपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर 15.7.21 — अपर समाहर्त्ता, देवघर 28-07-2021 — 30/07/2021

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।